

02/08/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आई.दा.दितांक 05/08/22 को पेश हो।

05/08/22

05/08/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान वकील उपा.
पार्थी वकील वि.पार्थी सं. 1 के शर्चना पत्र का
पताब नहीं देना जायते। पार्थी वकील ने
उक्त अनंतर पर बहस तुम्हरे का प्रितेदन किया
उभयपक्षकारान साधिवक्ता की बहस हुनी गयी।
बहस पर मनम किया गया। पत्रावली का
अध्यापन अठलोकन किया गया। पत्रावली के
'नलान' दस्तावेजों का अठलोकन किया गया।
। प्रिले पक्ष प्रवृत्त प्रतीत होता है कि पार्थी
द्वारा उक्त शर्चना पत्र खीलाए करते योग्य
है।

अतः मेरुपत्र वकी प्रितेपि अलग से भिस्ता
जाका शासिल पत्रावली किया जाता है पत्रावली
केवल शुभाए होला दारखील वकत हो।

(Signature)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण 1. गुल मोहम्मद पुत्र अहमद अली जाति मुसलमान निवासी जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम	विप्रार्थीगण 1. कुशलाराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी वसीये का तला 2. मुसाखान पुत्र अम्बखान 3. कुरवान पुत्र अहमद अली 4. हासमखान पुत्र सकूर 5. अकबर 6. उमेदाखान 7. जुमाखान पि. फेजू जातियान मुसलमान निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
--	------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 136/2019 दिनांक : 05.08.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया के मौजा जानपालिया के खेत खसरा संख्या 678/225 रकबा 50.00 बीघा किरम बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर

निम्नलिखित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा (SDO) सेड़वा

दिनांक 10/08/22

क्रमांक/भू.अ./2022/1733-40
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी गुल मोहम्मद पुत्र अहमद अली।
3. विप्रार्थीगण कुशलाराम पुत्र जैसाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 79/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

लक्ष्मण वगैरा बनाम खेता वगैरा

पीटासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - करनाराम कड़वासरा

विप्रार्थी संख्या 1 के वकील - बाबुलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक - 05.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया के मौजा जानपालिया के खेत खसरा संख्या 678/225 रकबा 50.00 बीघा किस्म बरानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता बाबुलाल विश्नोई आये। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया के मौजा जानपालिया के खेत खसरा संख्या 678/225 रकबा 50.00 बीघा किस्म बरानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा